प्रतिलिपि आदेश दिनांक 23-05-18 न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) जमानत आवेदन क्रमांक : 177 / 2018

> संजू ठर्फ संजीव पुत्र अजमेर सिंह तोमर उम्र 35 वर्ष जाति तोमर निवासी ग्राम तेहरा, तहसील गोहद हाल— निवासी राम नगर गोहद चौराहा तहसील गोहद जिला—भिण्ड(म0प्र0) —— आवेदक

बनाम

शासन पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड (म०प्र०) — अनावेदक

आवेदक / आरोपी संजू उर्फ संजीव द्वारा अधिवक्ता श्री जयवेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित।

प्राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल उपस्थित। पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला—भिण्ड, से अपराध क्रमांक 98 / 18 अंतर्गत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की केस डायरी प्रतिवेदन सहित प्राप्त। अवलोकन किया गया।

उभय पक्ष को जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं० के संदर्भ में सुना गया।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि यह उसका प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है। अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में न तो लंबित है न ही निराकृत किया गया है। समर्थन में आवेदक के भाई सोनू उर्फ संजीव का शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया है। खण्डन के अभाव में सत्य मान्य किया जाता है।

आवेदक / आरोपी की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरुद्ध रंजिशन झूठी घटना के आधार पर असत्य अपराध पंजीबद्ध कर लिया हैं। वह दिनांक 14-05-2018 से न्यायिक निरोध में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक स्थानीय निवासी है। वह प्रतिभूति पर रिहा होने के बाद न तो फरार होगा और न ही अभियोजन साक्षियों को प्रभावित करेगा। वह उचित प्रतिभूति देने को तैयार है। अतः आवेदन-पत्र स्वीकार कर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

23.05.18

अभियोजन की ओर से आवेदन का मौखिक विरोध करते हुये पूर्व आपराधिक अभिलेख को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिभूति आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

कंस डायरी के अवलोकन से यह आक्षेपित है कि दिनांक 13-05-18 को कस्बा गश्त के दौरान प्राप्त मुखबिर सूचना पर से अभियुक्त के आधिपत्य से एक कट्टा 315 बोर मय राउण्ड जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं बाद थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 98/18 अंतर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध होकर मामला विवेचना में है।

केस डायरी के अवलोकन से आवेदक/आरोपी के विरूद्ध अवैध रूप से कट्टा एवं कारतूस रखने का आरोप है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 437 द0प्र0सं0 निरस्त कर दिया है, आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय होकर मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में अपराध दर्ज हुए हैं। अभियुक्त दिनांक 15—05—18 से न्यायिक निरोध में है।

अतः निरोध की अवधि, प्रश्नगत अपराध की प्रकृति तथा उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण—दोषों पर टिप्पणी किये बगैर आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाम दिया जाना उचित प्रतीत होता है। विचारोपरांत प्रतिभूति आवेदन स्वीकार करते हुये आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/ अभियुक्त संजू उर्फ संजीव द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 20,000/— रूपये की स्थानीय सक्षम प्रतिभूति एवं 20,000/—रूपये राशि का स्वयं का बंध—पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिभूति पर रिहा किया जावे :--

- 1. यह कि, अनुसंधान के दौरान पूर्ण सहयोग करेगा।
- 2. यह कि, विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।
- 3. यह कि, पुनः समान प्रकृति का अपराध नहीं करेगा तथा नियत पेशी पर उपस्थित होता रहेगा। आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र भेजी जावे। आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण समाप्त। प्रिरणाम दर्ज कर विहित समयाविध में अभिलेखागार में निक्षेपित किया जावे। सही/—

(एच.के. कौशिक) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0) STINGTO REPORT SUNTY EDS STATED

ALINATA PAROLA SUNTA PAROLA PAROLA SUNTA PAROLA PAROLA SUNTA PAROLA PAROLA